

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 717

दिनांक:- 27-06-2025

कार्यालय आदेश

श्रीमती नीतू शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के राजकाज संदर्भ नं.-15358022 दिनांक 17.05.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 30.04.2025 से 08.05.2025 तक (कुल 09 दिवस)

उक्त 09 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्रीमती नीतू शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। स्वीकृत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार अभिवृद्धि की जाएगी।

f
20

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 717

दिनांक:- 27-06-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्रीमती नीतू शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)